कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email: pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 1011 .... दिनांकः– 29/9/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **132 के0वी0 सरिया–विष्णुगढ़ संचरण लाईन निर्माण हेतु कुल 56.988 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के पत्रांक 282 दिनांक 14.02.2022 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2174 दिनांक 21.09.2022

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना हैं कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/Trans/51259/2020 हेतु कुल **56.988 हे0** वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में कतिपय कमियां पाई गयी थी जिनके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 230 दिनांक 09.03.2022, पत्रांक 564 दिनांक 28.06.2022 एवं पत्रांक 874 दिनांक 30.08.2022 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं प्रयोक्ता अभिकरण को निदेशित किया गया।

तदोपरांत क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2174 दिनांक 21.09.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वांछित प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों से प्राप्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. यह परियोजना हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल एवं ज़िला हजारीबाग एवं गिरिडीह अन्तर्गत अवस्थित है।
2. Form-A Part-I के अनुसार इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को **कुल 89.4724 हे0** भूमि की आवश्यकता है जिसमें **56.988** हे0 वनभूमि एवं **32.4844 हे0** गैर वनभूमि शामिल है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का रकबा, जिलावार निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जिला का नाम	**प्रस्तावित वनभूमि का रकबा** हे0 में
1	हजारीबाग	33.829 हे0
2	गिरिडीह	23.159 हे0
कुल – 02		**56.988 हे0**

4. इस परियोजना में कुल **56.988 हे0** वनभूमि अन्तर्ग्रस्त है, जिसमें 10.314 हे0 जंगल–झाड़ एवं 46.674 हे0 अधिसूचित वनभूमि है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	हजारीबाग पूर्वी	46.674 हे0	10.314 हे0	**56.988 हे0**	0.5
कुल – 01		**46.674 हे0**	**10.314 हे0**	**56.988 हे0**	

29.09.2022

6. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।
7. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि की विस्तृत विवरणी/मौजावार/रकबावार/प्रमंड़लवार संलग्न है।
8. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का मंतव्य दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्वी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट–II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है।
9. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है
10. प्रस्ताव के साथ 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रांन्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
12. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
13. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पूर्वी द्वारा अपने पार्ट–II में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार इस परियोजना में Transmission line के संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की **कुल संख्या 2187** है।
15. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है।
16. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित **10.314** हे0 जंगल–झाड़ी वनभूमि उपयोग के संबंध में उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 223 दिनांक 17.03.2021 द्वारा 5.075 हे0 हेतु एवं गिरिडीह जिला अंतर्गत उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक 2091/रा0 दिनांक 12.09.2022 द्वारा 7.1840 हे0 हेतु जंगल झाड़ी वनभूमि का प्राप्त अनाप्रति प्रमाण–पत्र संलग्न है।
17. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, **2006** के तहत् उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 222 दिनांक 17.03.2021 द्वारा **33.829** हे0 एवं उपायुक्त गिरिडीह के पत्रांक 2219 (wel) दिनांक 22.11.2021 द्वारा **23.159 हे0** हेतु निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है। साथ ही ग्रामसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति संलग्न है।
18. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
19. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी, चतरा उत्तरी एवं लातेहार द्वारा अपने पार्ट–II के कंडिका **11** के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के **violation** नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।
20. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी द्वारा इस परियोजना प्रयुक्त **56.988** हे0 वनभूमि के दोगुणे 113.976 के विरूद्ध 115 हे0 अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है। जो निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	मौजा का नाम	थाना एवं थाना नं0	प्लॉट नं0	रकवा हे0 में
1	हजारीबाग पूर्वी	नागरकेश्वरी	बगोदर/28	2,17, 21,22,23P, 24P, 25,26,एवं 27	70
2	हजारीबाग पूर्वी	भेलवा	बगोदर/121	1,8,10,15P, एवं 16P	45
				कुल :	115 हे0

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है ।

29.09.2022

21. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
22. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
23. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग से प्राप्त प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **56.988 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), झारखण्ड, राँची का वर्तमान में पद रिक्त रहने के कारण प्रस्ताव सीधे राज्य सरकार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जा रहा है।

अनु0ः–यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

3-3 - Volume में।

विश्वासभाजन

29.09.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

29.9.22

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Construction of 132/KV D/C Saria- Bishnugarh Transmission Line under NIT- 307 (56.988 ha)

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 56.988 ha Forest land

Date :- 29.09.2022

Place :- Ranchi

Signature

29.09.2022

(Sanjay Srivastava)
Nodal Officer
Name & Designation
Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)